

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 222/22

तारीख दायर 30.5.2022

मांगीलाल मुतबन्ना रामा, मांगीलाल पिता गोकल जाति भील उम्र बालीग निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाश पिता देबीलाल जाति मीणा उम्र बालीग निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मांगीलाल पिता रूपा जाति भील उम्र बालीग निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. सुगनलाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड़ उम्र बालीग निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. नरेश पिता प्रभु जाति धाकड़ उम्र बालीग निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. सुगनलाल पिता देबीलाल जाति धाकड़ उम्र बालीग निवासी छोटा लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. लेखराज पिता कन्हैयालाल जाति भील उम्र बालीग निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. नन्दा पिता देवा जाति धाकड़ उम्र बालीग निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. प्रभु पिता रूपा जाति भील उम्र बालीग निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. भूमिधारी महोदय तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 30.5.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री सत्यनारायण जीनगर एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 123 पर अंकित आराजी संख्या 21, 22, 37, 38, 43, 444, 446, 45, 461, 532 कुल किता 10 रकबा 2.7519 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित मौजा ग्राम विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 123 पर अंकित आराजी संख्या 21, 22, 37, 38, 43, 444, 446, 45, 461, 532 कुल किता 10 रकबा 2.7519 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 222/2022
प्रेषिति :-

तारीख दायर 30.5.2022

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 222 / 20.22 पत्थरगढी बाबत।

मांगीलाल मुतबन्ना रामा, मांगीलाल पिता गोकल जाति भील उम्र बालीग निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाश पिता देबीलाल जाति मीणा उम्र बालीग निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मांगीलाल पिता रूपा जाति भील उम्र बालीग निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. सुगनलाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड़ उम्र बालीग निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. नरेश पिता प्रभु जाति धाकड़ उम्र बालीग निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. सुगनलाल पिता देबीलाल जाति धाकड़ उम्र बालीग निवासी छोटा लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. लेखराज पिता कन्हैयालाल जाति भील उम्र बालीग निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. नन्दा पिता देवा जाति धाकड़ उम्र बालीग निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. प्रभु पिता रूपा जाति भील उम्र बालीग निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. भूमिधारी महोदय तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 123 पर अंकित आराजी संख्या 21, 22, 37, 38, 43, 444, 446, 45, 461, 532 कुल किता 10 रकबा 2.7519 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाय़ा जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ